न्यायालय अति. सम्भागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 76/2016 जिला सीकर

1. रमा देवी उर्फ बाली देवी बेवा स्व. औम प्रकाश
2. आलोक पुत्र स्व. औम प्रकाश
3. अक्षय पुत्र स्व. औम प्रकाश
4. अमित पुत्र स्व. औम प्रकाश
5. अल्का पुत्री स्व. औम पकाश

जरिये नाबालिगान प्राकृतिक संरक्षिका माता श्रीमती रमा देवी पत्नि स्व. औम प्रकाश, समस्त जाति बलाई, निवासीगण सिहोट बडी, तहसील धोद, जिला सीकर ।

अपीलान्ट

बनाम

1. गणपति देवी
2. लाडा देवी
3. छोटी देवी

पुत्रियॉ हरजीराम, जाति बलाई, निवासिनी ग्रम सुहोट, तहसील लक्ष्मणगढ, जिला सीकर ।

रेस्पोंडेन्ट्स

4. पूर्णमल
5. केशर देव

पुत्रान स्व. हरजीराम, जाति बालाई, निवासी ग्रम सुहोट, तहसील लक्ष्मणगढ, जिला सीकर ।

6. तहसीलदार धोद तहसील कार्यालय धोद जिला सीकर (राजस्थान)
7. पटवारी हल्का ग्रम सिहोट बडी, तहसील व जिला सीकर ।

चित्रा
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

परफोर्मा रेस्पोंडेन्ट्स

अपील विरूद्ध आज्ञा उप खण्ड अधिकारी धोद, जिला सीकर
दिनांक 29.10.2014

उपस्थित–

1. वकील अपीलान्ट श्री बी.एस.राठौड
2. वकील रेस्पोंडेन्ट श्री सुनिल वशिष्ट

निर्णय

दिनांक– 16.4.2019

यह द्वितीय अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत उप खण्ड अधिकारी धोद, जिला सीकर के निर्णय दिनांक 29.10.2014 के

Scanned by CamScanner

खिलाफ मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के सथ दिनांक 21.5.2015 को प्रस्तुत हुई है । प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है :–

यह कि ग्रम सिहोट बडी, तहसील धोद, जिला सीकर स्थित आराजी खसरा नम्बर 493 रकबा 1.75 हैक्टेयर का खातेदार हरजीराम पुत्र बालूराम था जिसके फौत होने पर विरासत का नामांतरकरण संख्या 278 ग्रम पंचायत सिहोट बडी द्वारा दिनांक 6.8.2001 को औम प्रकाश, पूर्णमल, केशरदेव पि. हरजीराम के नाम स्वीकार किया गया । उक्त नामांतरकरण से व्यथित होकर मृतक हरजीराम की पुत्रियॅा गणपति, लाडा व छोटी द्वारा अपील न्यायालय उप खण्ड अधिकारी धोद, जिला सीकर के समक्ष प्रस्तुत की गई , जो अपीलाधीन निर्णय दिनांक 29.10.2014 द्वारा मृतक हरजीराम के अपीलांट्स हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार प्रथम श्रेणी की वारिसान प्रतीत होने से अपील स्वीकार की जाकर ग्रम पंचायत सिहोट बडी की आज्ञा दिनांक 6.8.2001 निरस्त की जाकर उसके आधार पर स्वीकृत किया गया विरासत का नामांतरकरण संख्या 278 ग्रम पंचायत सिहोट बडी तहसील धोद खारिज किया गया तथा प्रकरण तहसीलदार धोद, जिला सीकर को रिमाण्ड कर आदेश दिया गया कि मृतक हरजीराम के समस्त वारिसान की जॅाच कर नियमानुसार नामांतरकरण दर्ज़ करने का आदेश पारित करें ।

उप खण्ड अधिकारी धोद, जिला सीकर के उक्त निर्णय दिनांक 29.10.2014 से व्यथित होकर मृतक हरजीराम के पुत्र औम प्रकाश की पत्नि रमादेवी , पुत्रो एवं पुत्री द्वारा यह अपील मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलाधीन निर्णय उप खण्ड अधिकारी धोद जिला सीकर दिनांक 29.10.2014 निरस्त किया जाकर नामांतरकरण संख्या 278 दिनांक 6.8.2001 यथावत रखे जाने की प्रार्थना की ।

अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई ।

अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि विवादित भूमि के खातेदार हरजीराम की विरासत का प्रश्नगत नामांतरकरण संख्या 278 ग्रम पंचायत सिहोट बडी द्वारा दिनांक 6.8.2001 को मृतक के सभी वारिसान की सहमति से तस्दीक किया गया था जिसको अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अन्य आधारों पर निरस्त किया जाना न्यायोचित नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रश्नगत नामांतरकरण के खिलाफ रेस्पोंडेन्ट्स की अपील मियाद बाहर थी तथा विलम्ब के कारण भी कपोल कल्पित एवं मनगढन्त थे तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र पर निर्णय किये बिना ही गुणावगुण पर निर्णय करने में कानूनी भूल की है । उनका कहना था कि नामांतरकरण की कार्यवाही एक संक्षिप्त विचारण की प्रकिया होती है जिससे पक्षकारों के अधिकार तय नहीं होते । अपीलान्ट्स द्वारा सहायक कलक्टर (द्वितीय) सीकर के न्यायालय में विवादित भूमि के संबंध में दावा

Scanned by CamScanner

बाबत उद्घोषणा , बंटवारा, स्थायी निषेधाज्ञा तथा रिकार्ड संशोधन का प्रस्तुत किया था, जो विचाराधीन है तथा उसमें रेस्पोंडेन्ट संख्या 1,2,3 को पक्षकार बनाये जाने का आदेश होने के पश्चात् उनको नामांतरकरण की अपील प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं था । पक्षकारों के मध्य विचाराधीन दावे के निर्णय से पूर्व अधीनस्थ न्यायालय उप खण्ड अधिकारी द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया जाना कतई न्यायोचित नहीं है । विवादित भूमि पर अपीलान्ट व रेस्पोंडेन्ट संख्या 4 व 5 का कब्जा चला आ रहा है एवं वे विवादित भूमि पर काबिज काश्त है । अपीलाधीन आदेश उप खण्ड अधिकारी धोद विधि विरूद्ध होने से खारिज किये जाने योग्य है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे तथा प्रश्नगत नामांतरकरण यथावत बहाल रखा जावे ।

रेस्पोंडेन्ट्स के योग्य अधिवक्ता ने बहस में मुख्य रूप से कथन किया कि रेस्पोंडेन्ट्स के पिता हरजीराम का देहान्त दिनांक 3.7.99 को हो गया था । मृतक हरजीराम की विरासत का प्रश्नगत नामांतरकरण ग्रम पंचायत सिहोट बडी के तत्कालीन सरपंच ने साजिश पूर्वक केवत मृतक के पुत्रों औम प्रकाश, पूर्णमल व केशरदेव के नाम तस्दीक कर दिया एवं मृतक की जायन्दा पुत्रियॅा रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 से 3 को छोड दिया गया । ऐसी स्थिति में प्रश्नगत नामांतरकरण अवैध व शून्य होने से उसको चुनौती देने के लिये कोई समय सीमा बाधित नहीं थी । रेस्पोंडेन्ट्स 1 से 3 मृतक हरजीराम की जायन्दा पुत्रियॅा होने से अपने पिता की सम्पत्ति में हक प्राप्त करने की हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार प्रथम श्रेणी की वारिसान है । अधीनस्थ न्यायालय ने प्रश्नगत नामांतरकरण के खिलाफ रेस्पोंडेन्ट्स की अपील अपीलाधीन आदेश से रेस्पोंडेन्ट्स को हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के परिपेक्ष्य में प्रथम श्रेणी की वारिसा मानते हुये स्वीकार की जाकर प्रश्नगत नामांतरकरण खारिज किया है तथा प्रकरण तहसीलदार धोद को मृतक हरजीराम के समस्त वारिसान की जॉच कर नियमानुसार नामांतरकरण दर्ज कर आदेश पारित करने हेतु रिमाण्ड किया है, जो उचित एवं विधिसम्यक है । अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जावे ।

मैने प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया । सर्वप्रथम अपीलान्ट के धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये तथा इसके विरोध में रेस्पोडेन्ट द्वारा कोई शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने से विलम्ब के संबंध में लचिला रूख अपनाते हुये धारा 5 मियाद अधिनियम क प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को क्षमा किया जाता है । प्रकरण में पक्षकारों के मध्य विवाद विवादित भूमि के खातेदार हरजीराम की विरासत के नामांतरकरण का है । ग्रम पंचायत सिहोट बडी द्वारा मृतक हरजीराम की विरासत का नामांतरकरण संख्या 278 दिनांक 6.8.2001 को मृतक के पुत्रान औम प्रकाश , पूर्णमल एवं केशरदेव के नाम तस्दीक किया है जबकि रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 से 3 मृतक हरजीराम की पुत्रियॅा होने के आधार पर हिन्दु उत्तराधिकार

Scanned by CamScanner

अधिनियम के प्रावधानों के परिपेक्ष्य में अपने पिता की सम्पत्ति में हक चाहती है । प्रश्नगत नामांतरकरण के खिलाफ रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 से 3 जो मृतक की पुत्रियॉ है, की अपील अधीनस्थ न्यायालय उप खण्ड अधिकारी धोद द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.10.2014 से मृतक हरजीराम के अपीलांट्स हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार प्रथम श्रेणी की वारिसान प्रतीत होने से अपील स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत सिहोट बडी की आज्ञा दिनांक 6.8.2001 निरस्त की जाकर उसके आधार पर स्वीकृत किया गया विरासत का नामांतरकरण संख्या 278 ग्राम पंचायत सिहोट बडी तहसील धोद खारिज किया गया तथा प्रकरण तहसीलदार धोद को रिमाण्ड किया जाकर आदेश दिया गया कि मृतक हरजीराम के समस्त वारिसान की जॉच कर नियमानुसार नामांतरकरण दर्ज करने का आदेश पारित करें ।

उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में हम समझते हैं कि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत पुत्रियों को अपने पिता की सम्पत्ति में हक प्राप्त करने का विधिक अधिकार है । प्रकरण में विवादित भूमि के खातेदार हरजीराम की रेस्पोंडेन्ट्स पुत्रियॉ होने से हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के परिपेक्ष्य में अपने पिता की भूमि में हिस्सा प्राप्त करने की विधिक अधिकारी है जिन्हें हरजीराम की विरासत के नामांतरकरण में ग्राम पंचायत द्वारा छोडना विधिसम्यक नहीं है । इसी परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय उप खण्ड अधिकारी धोद ने भी रेस्पोंडेन्ट्स की अपील अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.10.2014 से मृतक हरजीराम के अपीलांट्स हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार प्रथम श्रेणी की वारिसान प्रतीत होने से अपील स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत सिहोट बडी की आज्ञा दिनांक 6.8.2001 निरस्त की जाकर उसके आधार पर स्वीकृत किया गया विरासत का नामांतरकरण संख्या 278 ग्राम पंचायत सिहोट बडी तहसील धोद खारिज किया गया तथा प्रकरण मृतक हरजीराम के समस्त वारिसान की जॉच कर नियमानुसार नामांतरकरण दर्ज करने हेतु तहसीलदार धोद को रिमाण्ड किया गया है, जिसमें हम कोई विधिक त्रुटि नहीं होने से हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं तथा अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है । परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है ।

अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे । इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

चित्रा
अतिरिक्त (संभागीय) आयुक्त
अति. सम्भागीय आयुक्त
जयपुर

Scanned by CamScanner